20 सेट

(5)

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकःप.6(14)कृषि / ग्रुप–2 / 2004 जयपुर, दिनांकः 2 4 AUG 2004

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण / राजस्थान आवासन मण्डल / नगर विकास न्यास / स्थानीय निकायों को योजनाओं के लिए आपसी समझौते से भूमि प्राप्त करने हेतु अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे के रूप में अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि दी जाती है।

इसी भाँति राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी प्रागणों के विकास एवं विभिन्न योजनाओं के लिए आपसी समझौते से वॉछिनीय भूमि प्राप्त करने हेतु भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में पकिया को सरल करने की दृष्टि से भूमि के खातेदार द्वारा भूमि के निशुल्क समर्पित करने पर भूमि के बदले मुआवजे के रूप में अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया है, इस बाबत निम्न दिशा निदश जारी किए जाते हैः–

(1) भूमि अवाप्ति प्रकरणों में खातेदार द्वारा आर्थिक मुआवजे के स्थान पर निःशुल्क भूमि समर्पित करने पर अवाप्तशुदा भूमि के बदले अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत वाणिज्यिक भूमि केवल उसी खातेदार को आवंटित की जा सकेगी, जिसकी भूमि अवाप्त की गयी हैं । खातेदार द्वारा बताये गये अन्य व्यक्तियो के नाम से भूमि का आवंटन नही किया जा सकेगा ।

(2) अवाप्त की जाने वाली भूमि के बदले विकसित भूमि खातेदार को अवाप्त की जाने वाली भूमि में से या उस योजना में जिसके लिए भूमि अवाप्त की जानी हैं, में ही आवंटन किया जा सकेगा ।

(3) अवाप्तशुदा भूमि के बदले प्रार्थी को निर्मित भवन का अलग से मुआवजा देय होगा । कुआँ, वृक्ष इत्यादि का मुआवजा देय नही होगा ।

(4) मुआवजे के रूप में प्राप्त भूमि पर कोई भी व्यवसाय किया जा सकेगा ।

(5) यह प्रावधान भविष्य में भूमि अवाप्ति के प्रकरणो में लागू होगे । जिन प्रकरणो में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड घोषित किया जा चुका है तथा मुआवजा राशि का भुगतान न्यायालय में जमा करवाया जा चुका हैं, ऐसे प्रकरणों में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(6) भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 4 की अधिसूचना जारी करने के पश्चात तथा धारा 6 की अधिसूचना के नोटिस जारी करने से पूर्व जिस योजना के अन्तर्गत भूमि अवाप्त की जानी हैं, उसका मानचित्र सम्बंधित संस्था द्वारा राज्य सरकार एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा । भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा खातेदारो को सूचित किया जावेगा कि वह नकद मुआवजे के स्थान पर विकसित भूमि प्राप्त कर सकेगा । इस सम्बंध में खातेदार / भू–स्वामी द्वारा अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मानचित्र खातेदार / भू–स्वामी को अवलोकन कराया जावेगा जिससे उसे विकल्प देने में कठिनाई न हो ।

6/8

अन्यथा अन्य व्यवसायों के लिये यार्ड के बाहर भूमि विकसित
सकेगी इस हेतु खातेदार से आवंटन से पूर्व ही विकल्प प्राप्त करना

(अनिल
शासन उप

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री कृषि विपणन।
2. प्रमुख शासन सचिव कृषि।
3. प्रशासक राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर
4. जिला कलेक्टर (समस्त)........कोटा..........
5. निदेशक कृषि विपणन विभाग, राज. जयपुर
6. शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 56 दिनांक 10.08.2009 के कम में।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक कृषि विपणन विभाग खण्ड–
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

कार्यालय जिला कलक्टर कोटा

[redacted]प2()राज/दिविध/09/6261-81 दिनांक) –08–2009

प्रतिलिपि निम्न को निम्न को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सचिव नगर विकास न्यास कोटा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम कोटा
भूमि अवाप्ति अधिकारी
कोटा/दीगोद/सांगोद/ईटावा/रामगंजमंडी /सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा ।
तहसीलदार लाडपुरा /दीगोद/सांगोद/पीपल्दा/रामगंजमंडी
नायब तहसीलदार मंडाना /चेचट /कनवास
जिला राजस्व लेखा कले0कोटा

अति0 जिला कलक्टर
कोटा